कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1408 /FP/UK/ROAD/27732/2017 :देहरादून: दिनांकः 7 नवम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0 15 से गुमड़ लग्गा गेरूड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/64/2019/एफ0सी0/2105 दिनांकः–17.12.2019

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1153/12–1 दिनांक 09.11.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित अवनत वन भूमि पर अर्थात् 3.65 है0 कम्पार्टमेन्ट नम्बर 7 बधाणगढ़ी पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07–10 वर्षो तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा करायी जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0476/चार–प्रावि0/वनभूमि/पी0एम0जी0एस0वाई0/2022–23 दिनॉक 01.08.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अवनत भूमि पर अर्थात् 3.65 है0 भूमि कम्पार्टमेन्ट नम्बर 7 बधाणगढ़ी पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07–10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 11,18,838.00 मात्र की धनराशि कैम्पा फण्ड में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 18,18,576.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर कोई बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) का Web पोर्टल	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 11,18,838.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0

6

	पर online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैक में जमा किए जाय, अन्य माध्यमो से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी।	15,42,125.00 वैब पोर्टल पर online Generate चालान के माध्यम से जमा किया गया है, ऑनलाईन रसीद की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 195 वृक्ष एवं 39 Saplings से अधिक न हो।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 05 के अनुपालन में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 195 वृक्ष एवं 39 Saplings से अधिक नही की जायेगी।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(के0एम0 राव)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1408 /FP/UK/ROAD/27732/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, आर0ई0एस0, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कर्णप्रयाग।

(के0एम0 राव)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C